



राजस्थान सरकार



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी-श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 38/22

जी0सी0एम0एस0 संख्या- 2022/151

दायर दिनांक- 21.11.2022

निर्णय दिनांक- 05.04.2023

1. मोहम्मद सराज खान पुत्र रिमजू खान जाति देशवाली निवासी ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ़

....प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान-भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:-1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, अधि0 प्रार्थी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

—:निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम पनेर, पटवार हल्का पनेर, भू-अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 355 के ख0न0 975/211 रकबा 0.2791 है0 एकल खातेदारी की कृषि आराजी भूमि अवस्थित है। मौके पर प्रार्थी कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी वर्णित कृषि आराजी की अन्य खसरा नम्बरान से लगी हुई भूमि पर पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर विवाद होते हैं। प्रार्थी ने अपनी एकल खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम से करवाये। सीमाज्ञान हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा किया गया था। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश करावें। प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर मौके पर काविज काश्त करता चला आ रहा है। आये दिन सींव को लेकर विवाद होते रहते हैं। पड़ौसी खातेदार नींव-सींव उखाड़ने को आमादा हो जाते हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि की भविष्य में अन्य पड़ौसी खातेदार की भूमि की नींव, सींव को लेकर विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

A—05.4.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तागिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। तदनुसार ग्राम पनेर पटवार हल्का पनेर भू-अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2071-2074 जगावंदी वर्ष 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 355 के ख0न0 975/211 रकबा 0.2791 है0 किरग बाराणी 1 मोहम्मद साराज खान पुत्र रिगजू खां हिस्सा पूर्ण जाति देशवाली (मुसलमान) ग्राम पनेर के नाम राजस्य रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान अनुसार ही गौके पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पनेर के खाता संख्या 355 के ख0न0 975/211 रकबा 0.2791 है0 भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं।

इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका गौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शागिल पत्रावली किया गया।



05.4.23
सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.) रूपनगढ़ (अजमेर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)